भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1647
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी रीफिल की वहनीयता

†1647. डा. भोला सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वहनीयता संबंधी कारणों से उज्ज्वला योजना के तहत वितरित एलपीजी कनेक्शन के कम उपयोग के मामलों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो रिफिल पर सब्सिडी देने और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का लगातार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास ग्रामीण और कम सुविधायुक्त क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभार्थियों को कवर करने के लिए योजना का विस्तार करने की कोई भावी योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): पूरे देश में गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई चरण-I के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए, 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में पीएमयूवाई चरण-2 (उज्ज्वला 2.0) की शुरूआत की गई थी, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत और 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निश्चय किया तथा दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार उज्ज्वला 2.0 के 1.60 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य को पहले ही हासिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदित कर दिया था जिसे पहले ही जुलाई, 2024 में हासिल किया जा चुका है। दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में कुल 32.83 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शनों में से 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पीएमयूवाई के तहत प्रदान किए गए हैं।

पूरे देश में एलपीजी की पहुँच को बेहतर बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पीएमयूवाई के विषय में जागरूकता में सुधार करने के लिए अभियान चलाना, कनेक्शनों के निमित्त नामांकन एवं वितरण के लिए मेला/शिविर आयोजित करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार करना, एलपीजी पंचायतों के माध्यम से अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी का उपयोग करने के लाभों और एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अन्तर्गत नामांकन/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के निमित्त उपभोक्ताओं और उनके परिवारों के लिए आधार नामांकन करने तथा बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, निकटतम एलपीजी वितरक, जन सेवा केन्द्र (सीएससी) आदि से www.pmuy.gov.in पर पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, 5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के सिलेंडर में अदला-बदली का विकल्प, प्रवासी परिवारों के लिए पते के प्रमाण और राशन कार्ड के बजाय स्व-घोषणा के आधार पर नया कनेक्शन प्राप्त करने का प्रावधान आदि जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, ओएमसीज विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स शुरू कर रही हैं। ओएमसीज ने देश भर में पीएमयूवाई योजना की शुरुआत से 7944 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स (दिनांक 01.04.2016 से 31.10.2024 के दौरान) की शुरुआत की है जिसमें से 7361 (अर्थात 93%) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रही हैं।

सरकार, पीएमयूवाई योजना की शुरुआत से वित्त वर्ष 2022-23 तक प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन पर सिलेंडर की जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होस, डीजीसीसी बुकलेट तथा संस्थापन प्रभार के रूप में 1600 रुपए तक का व्यय वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से यह व्यय प्रति 14.2 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन/ 5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन पर बढ़कर 2,200 रुपए तथा 5 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन पर 1,300 रुपए हो गया है।

पहल योजना के तहत, घरेलू एलपीजी सिलेंडर गैर-राजसहायता प्राप्त मूल्य पर बेचे जाते हैं और उपभोक्ताओं को लागू राजसहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है। उपभोक्ताओं को बैंक खातों में सीधे राजसहायता के अलावा, ओएमसीज को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया गया है, ताकि उच्च अन्तरराष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पर न डालने के कारण उन्हें हुई अल्प वसूली की भरपाई की जा सके।

भारत घरेलू एलपीजी की खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े हुए हैं। सरकार उपभोक्ता हेतु घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को लगातार घटाती-बढ़ाती रहती है। औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 64 प्रतिशत (जुलाई 2023 में यूएस अमेरीकी डॉलर 385 प्रति एमटी से नवंबर 2024 में यूएस अमेरीकी डॉलर 632 प्रति एमटी तक) तक वृद्धि हुई है जबकि दूसरी ओर प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए भारत में घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में 44 प्रतिशत (अगस्त 2023 में 903 रूपए से नवम्बर, 2024 में 503 रुपए तक) तक कमी हुई है।

सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए दिनाँक 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के लिए 200 रुपए की कमी की। सरकार ने दिनाँक 9 मार्च, 2024 से घरेलू एलपीजी के आरएसपी में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 100 रुपए की कटौती की है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी का वर्तमान आरएसपी 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है।

सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और किफायती बनाने के लिए तथा उनके द्वारा एलपीजी के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम के कनेक्शनों के लिए समानुपातिक रूप से यथानिर्धारित) 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की है। सरकार ने अक्टूबर, 2023 से निर्धारित राजसहायता को प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम के कनेक्शनों के लिए समानुपातिक रूप से यथानिर्धारित) प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है।

दिल्ली में घरेलू एलपीजी प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए मौजूदा खुदरा बिक्री मूल्य 803 रुपए है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रति सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद भारत सरकार 503 रुपए प्रति सिलिंडर के प्रभावी मूल्य (दिल्ली में) पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर प्रदान कर रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से भी अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

इसके अलावा, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप पीएमयूवाई लाभार्थियों (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 कि.ग्रा. वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) की प्रति व्यक्ति खपत वित्त वर्ष 2021-22 में 3.68 से बढ़कर (वित्त वर्ष 2023-24) में 3.95 तक और वित्त वर्ष 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) में 4.34 (वार्षिक आधार पर) हो गयी है। पीएमयूवाई खपत में अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर, 2024 के दौरान 24.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। उक्त अवधि के दौरान कुल पीएमयूवाई खपत में 459 टीएमटी से 570.7 टीएमटी तक वृद्धि हुई है।

****